बिहार सरकार

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–2028) के तहत् बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम

संचालन संबंधी दिशा–निर्देश

गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना

अनुक्रमणिका

01.	परिचय	1
02.	बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् प्रोत्साहन	1–3
03.	आवेदक / निवेशक और पात्रता	3
04.	पात्रता	3–4
05.	कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुश्रवण और शिकायत निवारण	4
06.	आवेदन एवं पूँजीगत अनुदान भुगतान की प्रक्रिया	4–5
07.	अनुश्रवण और शिकायत निवारण	6
08.	सामान्य शर्ते	6–7
09.	प्रोत्साहन की कैपिंग	7–8
10.	ईख पदाधिकारी के लिए दिशा–निर्देश	8–9
11.	चेक लिस्ट–1	10
12.	चेक लिस्ट–2	11
13.	चेक लिस्ट–3	12
14.	चेक लिस्ट–4	13
15.	स्वघोषणा (अनुसूची–1)	14
16.	नेटवर्थ प्रमाण–पत्र (अनुसूची–2)	15–16

1. **परिचय :**

1.1 बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के 76 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। राज्य में कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। बिहार राज्य में गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी एवं व्यवसायिक फसल है। यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त है। राज्य में लगभग 2.37 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है।

1.2 बिहार में कुल 09 चीनी मिलें कार्यरत हैं, जो मुख्यतः पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, समस्तीपुर में है।

1.3 चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) अन्तर्गत राज्य में गुड़ निर्माण इकाइयों को स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। गैर चीनी मिल वाले संबंधित सभी जिले में गुड़ इकाइयाँ स्थापित करने की अपार संभावना है।

1.4 चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओं वाली लगभग 405 इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य है। जिसमें से 70 प्रतिशत गुड़ इकाई गैर चीनी मिल क्षेत्रों में एवं 30 प्रतिशत गुड़ इकाई चीनी मिल क्षेत्र में स्थापित की जानी है।

1.5 वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत्यादेश संख्या–135 स्वी० दिनांक–29.07.2024 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए रू० 1240.00 लाख (बारह करोड़ चालीस लाख) मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2024–2025 में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओं वाली कुल 81 इकाई (लघु–50, मध्यम–25, वृहद–05 एवं बड़ी–01) इकाइयाँ को स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। जिसमें से 70 प्रतिशत गुड़ इकाई गैर चीनी मिल क्षेत्र एवं 30 प्रतिशत गुड़ इकाई चीनी मिल क्षेत्र में स्थापित की जानी है।

2. **बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् प्रोत्साहन :**

2.1 **नये गुड़ इकाई की स्थापना के लिए सहायता**

(क) आवेदकों/निवेशकों को गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा गुड़ इकाइयों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूँजी अनुदान/आर्थिक सहायता (न्यूनतम 05 टीसीडी क्षमता के साथ) प्राप्त करने के पात्र होंगे :

क्र० सं०	अनुदान / आर्थिक सहायता	क्षमता Ton Crushing Per Day (TCD)	परियोजना लागत	सामान्य श्रेणी के निवेशकों के लिए	एस.सी / एस.टी. / ईबीसी निवेशको के लिए अनुदान	महिला / दिव्यांग / युद्ध विधवा / एसिड आक्रमण पीड़ित और थर्ड जेन्डर के लिए
1	2	3	4	5	6	7
i.	नियत पूँजी (संयत्र और मशीनरी पर पूँजी अनुदान	5–20 टीसीडी	12 लाख रूपये तक संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड (छप्पर) पर।	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 06 लाख रूपये तक, जो भी कम हो।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 10% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 55 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 6.60 लाख रूपये	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 52.5 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 6.30 लाख रूपये
		21–40 टीसीडी	30 लाख रूपये तक संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड (छप्पर) पर।	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रूपये तक, जो भी कम हो।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 10% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 55 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 16.50 लाख रूपये	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 52.5 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 15.75 लाख रूपये
		41–60 टीसीडी	90 लाख रूपये तक संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड (छप्पर) पर।	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रूपये तक, जो भी कम हो।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 10% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 55 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 49.50 लाख रूपये।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 52.5 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 47.25 लाख रूपये
		60 टीसीडी से अधिक क्षमता पर	90 लाख रूपये से अधिक तथा 500 लाख रूपये तक के निवेश के लिए संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड छप्पर (शेड) पर	लागत का 20 प्रतिशत या 45 लाख रूपये, जो भी अधिक हो तथा अधिकतम 01 करोड़ रूपये तक।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 10% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 55 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 01 करोड़ रूपये तक।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5% बढ़ाया जायेगा। अर्थात् लागत का 52.5 प्रतिशत पूँजी अनुदान। अधिकतम 01 करोड़ रूपये तक।
ii.	ब्याज आर्थिक सहायता मात्र रू0 500 लाख से ज्यादा निवेश के लिए	**इकाइयों द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता**—सावधि ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज के दर जो भी कम हो, पाँच वर्षो की अवधि तक, अधिकतम ब्याज आर्थिक सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगा। ब्याज आर्थिक सहायता उस अवधि की मूलधन राशि (ऋण का) के भुगतान करने पर बैंक को अर्द्धवार्षिक / वार्षिक आधार पर दी जायेगी।				

2.2 अनुदान दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में पचास प्रतिशत राशि व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने के एक माह के अंदर तथा द्वितीय किस्त के रूप में पचास प्रतिशत राशि यूनिट के सफलतापूर्वक एक वर्ष के संचालन के उपरान्त भुगतेय होगा।

2.3 राज्य के अनुसूचित जातियों (एस॰सी॰), अनुसूचित जनजातियों (एस॰टी॰), अति पिछड़ा वर्ग (ई०बी०सी०), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें इस नीति अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा कि इकाई को प्रवर्तित करने वाली इकाई/फर्म में इन वर्गो के उद्यमियों का 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

3. <u>आवेदक/निवेशक और पात्रता</u> :

3.1 इस कार्यक्रम अन्तर्गत किसान/निवेशक/फर्म/एलएलपी कंपनी/कोआपरेटिव (सहकारी) सोसाइटी/किसान उत्पादक कम्पनी आवेदन करने के प्रात्र होगें।

3.2 आवेदक/निवेशक को निम्न शर्त्त पूरा करना आवश्यक होगा :–

(क) कार्यक्रम संबंधी दस्तावेजों एवं विवरणों के अनुसार विहित प्रपत्र में Online आवेदन समर्पित करना।

(ख) पर्यावरण संबंधी अनुमति/स्वीकृति (यदि आवश्यक हो) प्राप्त करना।

(ग) संचालन के पूर्व परियोजना हेतु जमीन (स्वंय या लीज पर हो) की उपलब्धता।

(घ) गुड़ उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण। यदि आवेदक पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हैं तो विभाग द्वारा परामर्शित प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।

(ड.) गुड़ उत्पादन हेतु अनुज्ञप्ति।

(च) परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन ईखायुक्त, बिहार/संबंधित ईख पदाधिकारी को सौंपना (फोटोग्राफ/तस्वीर सहित प्रगति प्रतिवेदन जमा करना)।

(छ) वैसे गुड़ इकाइयाँ जिनका निवेश 25.00 लाख रूपये से अधिक है, वे SIPB (स्टेट इनवेस्टमेन्ट प्रोमोशन बोर्ड) Stage-I द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे।

(ज) चयनित आवेदक/निवेशक सभी नियमों एवं शर्तो का पालन करेंगे।

4. <u>पात्रता</u> :

4.1 आवेदक की वित्तीय पृष्ठभूमि सुदृढ़ होनी चाहिए। आवेदक की शुद्ध संपत्ति (Net Assets) पूँजी अनुदान की माँग से कम नहीं होनी चाहिए।

4.2 इस कार्यक्रम के अधीन समर्पित किए जानेवाले वैसे प्रस्ताव जिसमें आवेदक बैंक से ऋण लेंगे उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा सम्यक रूप से मूल्यांकन किया जाना और सावधि ऋण का लाभ उठाना अपेक्षित है।

4.3 आवेदक/निवेशक परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदन (छोटी क्षमता वाली इकाइयों की दशा में डीपीआर) में परियोजना के सभी घटक अवश्य शामिल होने चाहिए जिसके लिए पूँजी अनुदान की माँग की जाती हो।

4.4 संयत्र एवं मशीनरी मानक गुणवत्ता का होना आवश्यक है। संबंधित निवेशक द्वारा इकाई की स्थापना के लिए आइएसआई/बीआईएस मार्का प्रमाणित कंपनी/फर्म से खरीद की जायेगी यंत्र एंव मशीनरी का उपयोग किया जायेगा। संयत्र एवं मशीनरी और उसमें प्रयुक्त तकनीक भारतीय गन्ना शोध संस्थान (आई.आई.एस.

आर.), लखनऊ एवं गन्ना शोध संस्थान, पूसा, समस्तीपुर द्वारा स्थापित मानकों के अनुसार होगी।

4.5 गुड़ इकाई के लिए पूँजी अनुदान की राशि सावधि ऋण लेखा में दी जायेगी।

4.6 ऋण नहीं लेने के स्थिति में आवेदक/निवेशक/फर्म के बैंक खाते में अनुदान की राशि दी जायेगी।

5. **कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुश्रवण और शिकायत निवारण :**

5.1 कार्यक्रम का कार्यान्वयन (Implementation of Programme)

5.2 बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग नोडल एजेंसी होगा जो राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। गन्ना उद्योग विभाग इस कार्यक्रम के कार्यपालक आदेश के साथ प्रावधानों और मार्गदर्शिका का आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

5.3 इस कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन के आधार पर लाभुक का चयन किया जायेगा।

(i) रैण्डमाइजेशन कार्यालयवार, इकाई की क्षमतावार एवं वर्गवार (Category wise) किया जायेगा।

(ii) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई क्षमता में प्रत्येक वर्ग के लिए प्राप्त आवेदन में से आवेदन का चयन कर रैण्डमाइजेशन द्वारा किया जायेगा।

(iii) रैण्डमाइजेशन के तहत् अन्तिम रूप से चयनित लाभुकों की सूची तैयार की जायेगी।

(iv) लक्ष्य (Target) से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन के आधार पर आवेदन का चयन करना। रैण्डमाइजेशन में सिर्फ उन्हीं आवेदक को शामिल किया जायेगा जिसको अनुज्ञप्ति प्राप्त है अथवा चालान जमा किया गया है।

5.4 **आवेदन एवं पूँजीगत अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :**

(i) कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन के आधार पर चयनित प्रोजेक्ट को संबंधित ईख पदाधिकारी को अग्रसारित करना। प्राप्त प्रस्ताव की जाँच/स्थल निरीक्षण संबंधित जिले के ईख पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ ईखायुक्त, बिहार को online प्रेषित की जायेगी।

(ii) प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) की समीक्षा की जा सकेगी तथा इसके लिए विशेषज्ञों/संस्थानों की सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

(iii) तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से सक्षम प्रस्तावों की समीक्षा तथा स्वीकृति प्रदान करने के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) गठित की जायेगी। पीएसी का गठन निम्न रूप से होगा:—

क्र० सं०	पदनाम	स्थिति
I	ईखायुक्त, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
II	उप सचिव/संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार।	सदस्य
III	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य
IV	संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार।	सदस्य सचिव
V	संयुक्त निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

(iv) **परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों की समीक्षा एवं स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करना**– प्राप्त आवेदनों/परियोजनाओं की जाँच और पूँजीगत अनुदान जारी करने की मंजूरी के लिए पीएसी की बैठक आयोजित की जायेगी।

इस कार्यक्रम के अधीन गठित परियोजना अनुमोदन समिति इस कार्यक्रम के शर्तो के अनुसार आवेदक की पात्रता के आधार पर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय करेगी।

(v) **परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) के अनुमोदन के पश्चात् संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा कार्यादेश/स्वीकृत्यादेश जारी करना**– परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसित/स्वीकृत परियोजना के आधार पर संबंधित ईख पदाधिकारी के द्वारा कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश में परियोजना स्वीकृति के उन शर्तों एवं बंधेजों का उल्लेख किया जायेगा जो मार्गदर्शिका में विहित हो अथवा पी.ए.सी के द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(vi) चयनित आवेदक/निवेशक द्वारा गुड़ के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर प्रथम किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना।

(vii) संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित दस्तावेजों को जाँच कर जाँचोपरान्त स्वीकृत्यादेश निर्गत करना तथा 15 दिनों के अन्दर अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करना।

(viii) गुड़ इकाई के एक वर्ष के सफलतापूर्वक संचालन के उपरान्त आवेदक/निवेशक द्वारा द्वितीय किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना तथा संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त 15 दिनों के अन्दर अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करना। **कार्यादेश के आलोक में ही आवेदकों को अनुदान की पात्रता मान्य होगी। कार्यादेश के बिना कार्य किये गये युनिट के संबंध में अनुदान की देयता राज्य सरकार की नहीं होगी। अनुदान का भुगतान बजट उपलब्धता/आवंटन आदेश तक सीमित होगा। किसी वर्ष में बजट में राशि उपबंधित नहीं रहने अथवा योजना की स्वीकृति नहीं होने पर किसी प्रकार की अनुदान की बाध्यता राज्य सरकार की नहीं होगी।**

6. **अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण :**

6.1 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रक्रिया सुधार एवं आवश्यक सरलीकरण किया जायेगा। गन्ना उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, संयुक्त ईखायुक्त अथवा कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया जाय स्वीकृत परियोजनाओं/इकाइयों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवार होगें। योजना कार्यान्वयन के संबंध में शिथिलता के लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होगें तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने पर विचार हो सकता है।

6.2 व्यवसाय को सरल बनाने के लिए सरकारी प्रयास के रूप में आवेदन/संबद्ध प्राधिकारी से अनुमति तथा संबंधित एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त ईखायुक्त तथा जिलास्तर पर ईख पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होगें।

6.3 सभी मामलों की व्याख्या/विवादों का निर्णय गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा।

7. **सामान्य शर्त्ते :**

7.1 सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् इकाई द्वारा गुड़ का वाणिज्यिक उत्पादन किया जायेगा।

7.2 यदि प्रोत्साहन का लाभ लेने के प्रयोजन से कोई झूठी घोषणा की जाती है या यदि निवेशक/इकाई न्यूनतम निवेश करने में असफल होता है या यदि प्रोत्साहन का लाभ किसी ऐसी इकाई द्वारा ली जाती है, जो योग्य नहीं था या इस कार्यक्रम के शर्तो का उल्लंघन हुआ हो तो अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसे लाभ लेने अर्थात् भुगतान की तिथि से वसूली का भागी होगा।

7.3 उत्पादन तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा जिस तिथि से इकाई, व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो। उत्पादन की तिथि जिला के ईख पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा इसकी सूचना ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग को दी जायेगी।

7.4 संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा कार्यादेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए छः माह तथा अन्य इकाइयों के मामलों में एक वर्ष के अन्दर व्यावसायिक उत्पादन करनेवाली इकाई इस कार्यक्रम के अधीन प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य होगी। यदि किसी इकाई के द्वारा निर्धारित अवधि में व्यवसायिक उत्पादन का कार्य शुरू नहीं हो पाता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए उत्पादन अवधि का बढ़ाने के संबंध में ईखायुक्त, बिहार को अभ्यावेदन दे सकेगें, जो उसे सम्यक विचारोपरांत मान्य अथवा अमान्य कर सकेगें।

7.5 गुड़ इकाई संयत्र के अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा करना बाध्यकारी हो गया है तो स्थानांतरण के पूर्व निवेशकों को संबंधित ईख पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ईखायुक्त, बिहार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा इसे अवैध मानते हुए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

7.6 चीनी मिलों के लिए ईख क्रय की निर्धारित दर के आधार पर गुड़ इकाई, गन्ना की खरीद किसानों से करेगी और इकाई के द्वारा सभी क्रय संबंधी अभिलेखों को संधारित किया जायेगा। इकाई द्वारा खरीदे गये गन्ना की राशि का भुगतान बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

7.7 व्यवसायिक उत्पादन के पूर्व गुड़ उत्पादन के लिए विधिक अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गन्ना उद्योग विभाग, बिहार एवं संबंधित ईख पदाधिकारी को गुड़ उत्पादन ब्योरा का दैनिक प्रतिवेदन देना, इकाई के लिए अनिवार्य होगा।

7.8 इकाई के लिए यह अपेक्षित होगा कि गन्ना उद्योग विभाग, बिहार एवं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को गुड़/खांडसारी इकाई के उपोत्पाद (बॉय प्रोडक्ट) के रूप में शीरा उत्पादन (यदि होता हो तो) से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। चूँकि बिहार में अल्कोहल का विनिर्माण और भंडारण निषिद्ध है, खाण्डसारी के उपोत्पाद (बॉय प्रोडक्ट) के रूप में शीरा का अनुश्रवण तथा भंडारण उत्पादन की बिक्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित इकाई के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी तथा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

7.9 गन्ना उद्योग विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए सक्षम होगा।

7.10 गुड़ इकाई की स्थापना कार्यरत चीनी मिल से 15 कि॰मी॰ की परिधि के बाहर ही की जायेगी।

8. <u>प्रोत्साहन की कैंपिंग</u> :

8.1 इस कार्यक्रम के अधीन कुल ब्याज आर्थिक सहायता और पूँजी अनुदान की कैंपिंग अनुमोदित परियोजना लागत के 100 प्रतिशत होगी (बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत परियोजना लागत परियोजना लागत हो)।

8.2 **केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों और स्कीमों से सामंजस्य स्थापित करना।**

केन्द्र सरकार की स्कीमों के साथ प्रोत्साहन का सामंजस्य इस कार्यक्रम के अधीन अनुमत होगा। भारत सरकार की किसी स्कीम के अधीन प्रोत्साहक (प्रमोटर) द्वारा उठाए गए लाभ/उठाए जानेवाले लाभ की दशा में जिसमें राज्य का हिस्सा हो या राज्य सरकार की स्कीम से जुड़ा हो तो इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजन हेतु अनुमोदित परियोजना लागत राज्य सरकार से लिये गये प्रोत्साहन लाभ के तदनुरूप परियोजना लागत से घटाकर प्राप्त की जायेगी।

केन्द्र सरकार की स्कीम के अधीन यदि निवेशक कोई अनुदान का लाभ उठाता है तो उनके द्वारा उठाए गए अनुदान लाभ/उठाए जानेवाले अनुदान लाभ की राशि बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अर्थात् इस कार्यक्रम के अधीन तदनुरूप अनुमान्य अनुदान से घटायी जायेगी। उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार स्कीम के अधीन यदि निवेशक 6 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता अनुदान का लाभ उठाता है और उनके द्वारा प्राप्त सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर 10 प्रतिशत हो तो शेष 4 प्रतिशत इस कार्यक्रम के अधीन अनुमान्य होगा जो इस कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट उपरी सीमा के अधीन होगा।

8.3 **राज्य सरकार की नीतियों एवं स्कीमों के साथ सामंजस्य स्थापित करना** : राज्य सरकार की नीति एवं स्कीमों के साथ प्रोत्साहन का सामंजस्य इस कार्यक्रम के अधीन अनुमान्य होगा। बिहार सरकार की किसी स्कीम के अधीन प्रोत्साहक द्वारा प्राप्त अनुदान/प्राप्त किये जानेवाले अनुदान की दशा में इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परियोजना लागत राज्य सरकार को योजना में लिए गए प्रोत्साहन के तदनुरूप परियोजना लागत को घटाकर प्राप्त किया जायेगा।

गैर चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना के विकास के लिए किसानों को मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अधीन प्रोत्साहन दिया जायेगा और उक्त स्कीम का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा।

निवेशकों को भारत सरकार या बिहार सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या उनकी एजेंसियों से इसी प्रकार के घटक/प्रयोजन/क्रियाकलाप के लिए अनुदान/आर्थिक सहायता के संबंध में सूचना या उसके लिए आवेदन नहीं करने की घोषणा सुपुर्द करना होगा।

9. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं विज्ञापन मद तथा आकस्मिकता मद में स्वीकृत राशि का व्यय मुख्यालय स्तर पर ईखायुक्त, बिहार के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा। कर्णांकित राशि का उपयोग विशेषज्ञों से प्रस्तावों की तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता के अध्ययन के लिए किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार राशि का उपआवंटन क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी किया जा सकेगा।

10. गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईखायुक्त, बिहार योजना के सर्वोच्च नियंत्रण पदाधिकारी होंगे जिनके पर्यवेक्षण में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। ईखायुक्त, बिहार योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण समय—समय पर करेंगे।

11. (क) **<u>ईख पदाधिकारियों के लिए दिशा—निर्देश :</u>**

1. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन को ईखायुक्त, बिहार को अग्रसारित करना।
2. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को सत्यापित करना।
3. अनुज्ञप्ति/चालान का सत्यापन।
4. आवेदक/फर्म के पैन का सत्यापन।
5. आवेदक का आधार संख्या मूल प्रमाण—पत्र से सत्यापित करना।
6. आवेदक/फर्म का विगत दो वर्षो का ITR का सत्यापन।
7. इकाई की अवस्थिति (Loacation) का भौतिक सत्यापन।
8. स्थल का GPS युक्त फोटो अपलोड करना।

9. SIPB का अनुमोदन का सत्यापन (25.00 लाख से उपर का)।
10. यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित गुड़ इकाई की स्थापना कार्यरत चीनी मिल से 15 कि॰मी॰ की परिधि के बाहर ही हो।
11. किये गये Term Loan के स्वीकृति के अभिलेख का सत्यापन (यदि हो तो)।
12. आवेदक/फर्म का बैंक एकाउन्ट संबंधी अभिलेख का सत्यापन।
13. आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/विशेष वर्ग का प्रमाण पत्र का सत्यापन।
14. इकाई वन क्षेत्र में अवस्थित रहने की स्थिति में पर्यावरण संबंधी अनुमति का सत्यापन।
15. प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र का सत्यापन।
16. परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) का अनुमोदन के पश्चात् कार्यादेश निर्गत करना।

(ख) **<u>प्रथम किस्त देने के पूर्व</u>** (इस प्रक्रिया से पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा)

1. परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) का Approval Letter की जाँच करना।
2. गुड़ उत्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच करना।
3. व्यवसायिक उत्पादन के प्रमाण–पत्र को निर्गत करना।
4. गुड़ उत्पादन का दैनिक प्रतिवेदन क जाँच करना।
5. Plant & Machinery की सूची एवं अभिश्रवों की जाँच करना।
6. माप–तौल की अनुज्ञप्ति का सत्यापन।
7. आवेदक/फर्म के बैंक खाता के विवरणी का जाँच करना।
8. अवस्थित इकाई का पुनः स्थल निरीक्षण करना। (पूर्व में किये गये स्थल निरीक्षण के समरूप होना चाहिए)।
9. स्टॉक रजिस्टर की जाँच करना।
10. बिक्री रजिस्टर की जाँच करना।
11. किसानवार क्रय किये गये ईख की मात्रा एवं ईख मूल्य भुगतान से संबंधित सूची की जाँच।
12. FSSAI द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र का सत्यापन।
13. बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट की जाँच करना।
14. बैंक स्वीकृत पत्र की जाँच करना।

(ग) **<u>द्वितीय किस्त देने के पूर्व</u>**

1. प्रथम किस्त की स्वीकृत्यादेश की जाँच करना।
2. इकाई स्थल की भौतिक सत्यापन करना।
3. बैंक एकाउन्ट का अंतिम 3 माह का विवरणी का जाँच करना।
4. स्टॉक रजिस्टर की जाँच करना।
5. बिक्री रजिस्टर की जाँच करना।
6. किसानवार क्रय किये गये ईख की मात्रा एवं ईख मूल्य भुगतान से संबंधित सूची की जाँच करना।

ईखायुक्त, बिहार।

चेक लिस्ट–1

रेंडमाईजेशन के आधार पर चयनित गुड़ इकाई के लिए ऑनलाइन आवेदन जांच करते समय ईख पदाधिकारी के लिए चेक लिस्ट

क्रमांक	दस्तावेज/अभिलेख का नाम		हाँ/नहीं/लागू नहीं
01.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है या नहीं?		
02.	क्या इकाई के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली गयी हैं?		
03.	अनुज्ञप्ति के लिए चालान जमा किया गया हैं?		
04.	आवेदक/फर्म का पैन कार्ड नं०		
05.	मोबाइल नं०		
06.	आधार संख्या–		
07.	जी०एस०टी०सं०–		
08.	आवेदक/फर्म का ई–मेल आई0डी0		
09.	आवेदक/फर्म का अद्यतन ITR		
10.	स्थायी पता		
11.	वर्तमान पता		
	(i)	यूनिट की अवस्थिति (Location) का पूरा पता	
	(ii)	क्या यूनिट कार्यरत चीनी मिल के गेट से 15 कि०मी० की परिधि से बाहर अवस्थित है या विभाग द्वारा वर्णित क्षेत्र के बाहर है?	
12.	(i)	आवेदक परियोजना स्थल के स्वयं भू–स्वामी हैं संबंधी अभिलेख	
	(ii)	आवेदक को परियोजना स्थल का स्थाई रजिस्टर्ड लीज प्राप्त है संबंधी अभिलेख	
13.	SIPB का अनुमोदन (25.00 लाख के उपर के निवेश पर)		
14.	लिये गये सावधि ऋण की स्वीकृति का अभिलेख		
15.	आवेदक/फर्म के बैंक खाता संबंधी अभिलेख		
16.	आवासीय प्रमाण–पत्र		
17.	जाति प्रमाण–पत्र		
18.	विशेष वर्ग का प्रमाण पत्र (दिव्यांग/युद्ध विधवा/ एसिड आक्रमण पीड़ित के लिए)		
19.	पर्यावरण संबंधी अनुमति		
20.	क्या आवेदक द्वारा गुड़ उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है?		
21.	स्वघोषणा शपथ पत्र		
22.	ईख पदाधिकारी का मंतव्य परियोजना स्वीकृति योग्य है अथवा नहीं? अगर नहीं तो अस्वीकृति का कारण		
23.	बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट (Bank Appraisal Report)		
24.	बैंक स्वीकृत पत्र (Bank Sanction Letter)		

चेक लिस्ट–2

गुड़ इकाई के समीक्षा हेतु गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के लिए चेक लिस्ट

क्रमांक	दस्तावेज/अभिलेख का नाम	हाँ/नहीं/लागू नहीं
01.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	
02.	क्या इकाई के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली गयी है?	
03.	संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी की अनुशंसा	
04.	क्या यूनिट कार्यरत चीनी मिल के गेट से 15 कि०मी० की परिधि से बाहर अवस्थित है अथवा विभाग द्वारा वर्णित क्षेत्र के बाहर है?	
05.	SIPB का अनुमोदन (25.00 लाख के उपर के निवेश पर)	
06.	क्या आवेदक द्वारा गुड़ उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है?	
07.	इकाई स्थल का फोटोग्राफ्स (जीपीएस युक्त)	
08.	प्राप्त प्रस्ताव के तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) की समीक्षा की गयी है या नहीं	

चेक लिस्ट–3

गुड़ इकाई के स्थापना हेतु अनुमोदन के पश्चात् देय प्रथम किस्त के लिए चेक लिस्ट

क्रमांक	दस्तावेज / अभिलेख का नाम	हाँ / नहीं / लागू नहीं
01.	परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) का अनुमोदन	
02.	गुड़ उत्पादन हेतु अनुज्ञप्ति	
03.	गुड़ के व्यवसायिक उत्पादन का प्रमाण–पत्र	
04.	गुड़ उत्पादन ब्यौरा का दैनिक प्रतिवेदन	
05.	प्लान्ट एवं मशीनरी की सूची	
06.	प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीद की सत्यापित अभिश्रव	
07.	प्लान्ट एवं मशीनरी की इन्सटॉलेशन का प्रमाण–पत्र	
08.	यंत्र एवं मशीनरी ISI/BIS मार्का है या नहीं	
09.	यंत्र एवं मशीनरी IISR, लखनऊ एवं SRI, पूसा द्वारा प्रमाणित है	
10.	तकनीक IISR, लखनऊ अथवा SRI, पूसा द्वारा प्रमाणित है या नहीं	
11.	माप–तौल की अनुज्ञप्ति	
12.	बैंक खाते की विवरणी (अंतिम 3 माह की बैंक विवरणी)	
13.	परियोजना का स्थल निरीक्षण से संबंधित फोटोग्राफ्स	
14.	स्टॉक रजिस्टर	
15.	बिक्री रजिस्टर	
16.	किसानवार क्रय किये गये ईख की मात्रा एवं ईख मूल्य भुगतान से संबंधित सूची	
17.	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) का प्रमाण–पत्र	

चेक लिस्ट–4

गुड़ इकाई के स्थापना हेतु प्रथम किस्त के एक वर्ष के पश्चात् देय द्वितीय किस्त के लिए चेक लिस्ट

क्रमांक	दस्तावेज/अभिलेख का नाम	हाँ/नहीं/लागू नहीं
01.	प्रथम किस्त का स्वीकृत्यादेश	
02.	इकाई स्थल का सत्यापन प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ सहित)	
03.	स्टॉक रजिस्टर	
04.	बिक्री रजिस्टर	
05.	बैंक खाता का अंतिम तीन माह की विवरणी	
06.	किसानवार क्रय किये गये ईख की मात्रा एवं ईख मूल्य भुगतान से संबंधित सूची	

अनुसूची– I

<u>स्वघोषणा (Under Taking)</u>

मैं .... (आवेदक/निवेशक का नाम) पिता श्री...(पिता का नाम) निवासी... (आवासीय पता) इसके तहत् पूरी तरह से पुष्टि और घोषित करता/वचन देता हूँ।

1. यह कि मैं मेसर्स... (आवेदक/निवेशक का नाम) भागीदार हूँ, जिसका पंजीकरण सं०... और पंजीकृत कार्यालय ....(आवेदक/निवेशक का पता)।
2. मैं इसके तहत आवेदन करने और मैं स्वयं प्राधिकृत/प्रबंधन के संकल्प सं०........................ दिनांक– ....के तहत विधिवत अधिकृत हूँ और सभी आवश्यक दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति सहित देयता की ओर से इस उपक्रम ....(स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी (LLP), कम्पनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहित) का नाम... और सर्वेक्षण/प्लॉट नम्बर.................... .... ग्राम–................................., तहसील................................, जिला–..........................., राज्य............................... पिन कोड...(मुख्य सुविधा का स्थान) .... के लिए .... (परियोजना द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ) पर परियोजना की स्थापना से संबंधित तथ्यों से पूरी तरह अवगत हूँ और बिहार गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए आवेदन किया जा रहा है।
3. यह कि प्रस्तावित गुड़ इकाई कार्यरत चीनी मिल के 15 कि०मी० की परिधि से बाहर अवस्थित है।
4. बिहार सरकार की उपरोक्त योजना की अवधि और शर्ते जिसके तहत् आवेदक/निवेशक द्वारा आवेदन किया गया है, मेरे द्वारा ठीक से पढ़ा और समझा गया है और मैं पुष्टि करता हूँ कि परियोजना/प्रस्ताव अनुमोदन के सभी नियमों और शर्तो का अनुपालन स्वघोषणा पत्र और प्रावधान योजना के दिशा–निर्देशों में निहित है।
5. परियोजना/प्रस्ताव द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियाँ बिहार सरकार की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आती है और वर्तमान में या निकट भविष्य में आवेदन में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने के लिए योजना का कोई भी हिस्सा तैयार नहीं किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि ....(आवेदक/निवेशक का नाम) उसी परियोजना, घटक, उद्देश्य या गतिविधि के लिए भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या बिहार सरकार या उनकी एजेंसियों/संगठनों से पूँजीगत अनुदान के लिए प्राप्त या आवेदन नहीं किया गया है।
7. इस संबंध में किसी भी तथ्य को छिपाने के मामले में गन्ना उद्योग विभग, बिहार, सरकार के पास किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन/परियोजना को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा।
8. मैं अनुदान की कम स्वीकार्यता या अनुदान में भविष्य में कमी या परियोजना की लागत में किसी भी वृद्धि के कारण वित्त के साधनों में किसी कमी को पूरा करूंगा।
9. मैं अनुदान–सहायता के अनुमोदन प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई है, के अलावा अन्य कार्यो के लिए पूरी तरह से या सरकारी अनुदान से ऋणग्रस्त या अतिक्रमण या उन संपत्तियो का उपयोग नहीं करूँगा।
10. प्रोत्साहन का लाभ लेने के प्रयोजन से झूठी घोषणा के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मैं न्यूनतम निवेश करने में असफल होता हूँ या यदि प्रोत्साहन का लाभ पात्रता के बिना लिया गया या इस कार्यक्रम के शर्तो का उल्लंघन हुआ हो तो अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसे लाभ लेने की तिथि से वसूली का भागी होऊँगा।

स्थान : **आवेदक/निवेशक का हस्ताक्षर**

नोट :– इसे हस्ताक्षर के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

अनुसूची–II

नेट वर्थ प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.. निवासी.. पैन नं० .... और आधार नं० .... तथा जन्म तिथि .... का दिए गए गणना के अनुसार .... नेटवर्थ पर ... . लाख (.................................. लाख रूपये मात्र)।

नेट वर्थ की संगणना

रूपये लाख में

क्रमांक		विवरणी	सूची	सकल योग	कुल योग
I		**संपत्ति**			
A		फिक्सड एसेट्स (कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्तिया)	A		
B		अन्य संपत्तियाँ			
	a	विभिन्न बाहर के शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्य (लगभग) कंपनियों और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान	B		
	b	म्यूचुअल फंड में निवेश	C		
	c	बचत / निवेश (बैंक/डाकघर जमा, बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय पेंशन योजना, पीपीएफ, आदि) (बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम मूल्य का भुगतान)	D		
	d	व्यक्तिगत ज्वेलरी (लागत पर)	E		
	e	निजी वाहन (लागत पर)	F		
	f	अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट करें)			
I		**कुल संपत्ति (A + B)**			

क्रमांक	विवरणी	सूची	सकल योग	कुल योग
II	**देयताऐं**			
A	बैंक से उधार			
B	अन्य स्रोतों से ऋण असुरक्षित ऋण			
C	अन्य देनदारियाँ (निर्दिष्ट करें)			
II	कुल देयताएँ			
III	नेट–वर्थ (I–II)			

IV. गारंटी (व्यक्तिगत) निर्गत

क्रमांक	गारंटी डीड के साथ निष्पादित/निर्गत	के पक्ष में जारी की गई गारंटी	ऋण लेने का उद्देश्य	ऋण की राशि (रू० लाख में)	गारंटी निष्पादन/ निर्गत तिथि
	कुल				

V. समायोजित वास्तविक नेट वर्थ [I – (II + IV)] (रूपये लाख में) :

यह प्रमाणित किया जाता है कि दी गई जानकारी मेरे रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच के आधार पर नेट वर्थ की गणना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मेरी संतुष्टि के लिए प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सही है।

उपर्युक्त सभी सूचियाँ इस प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है।

चार्टर्ड एकाउन्टेंट के लिए

मुहर

स्थान :